

न्यायालय उपरपठ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सलूमवार

पार्थी :- श्री केसीया

सनाम विपक्षी :- उकार

किसम :- श.वा. (धारा-188 PTA)

सु.नं. :- 30/2016

02/12/24

पत्रा. पेश हुई। वकील वादी उप.। साक्ष्यवादी हेतु अवसर
चाह्य। पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं। न्यायहित में
आंतिम अवसर दिया जाता है। आगामी पेशी पर
साक्ष्यवादी पेश नहीं करेंगे व साक्ष्यवादी का अवसर
स्वतः बन्द समझा जावे। मि. वास्ते साक्ष्यवादी के
दिनांक :- 20/01/2025 को पेश हो।

20/01/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी मय वादीगण अनुपास्थित।
जिनहे न्यायालय समय पर विधीवत रूप से बार-बार
आवाजे लगावई गई। उसके उपरान्त श्री वादीगण
मय आधीवक्त। के गैर-हजरि रहने से वादीगण
का यह वाद अदम-हजरि व अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है।

पत्रावली केसल शुमार शेकर दाखिल दफ्तरयो
निर्णय शुके न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूमवार
जिला सलूमवार